


भारत निर्वाचन आयोग

बिहार विधान परिषद् के कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(4) के अंतर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अनुसरण में कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में दिनांक 01.10.2022 के अपने नोटिस के द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न रूप में प्रकाशित समाचार पत्रों के संस्करण में उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में पुनः प्रकाशित फार्म 19 में अपना आवेदन 07.11.2022 तक या उससे पहले अभिहित पदाधिकारी के कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म 19 में अपने आवेदन 07.11.2022 तक या उससे पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।



आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया  
—सह— निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र